न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी—सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

प्रा0प0 सं0
1/117

दायर दिनांक
05.07.2024

निर्णय दिनांक
15.01.2025

1. श्रीमती भौति देवी आयु करीब 78 वर्ष धर्मपत्नि श्री रामहेत गुर्जर
2. श्रीमति अर्मिला देवी आयु करीब 58 वर्ष धर्मपत्नि श्री रामस्वरूप गुर्जर
3. श्रीमति अनिता देवी आयु करीब 38 वर्ष धर्मपत्नि श्री मुकेश गुर्जर निवासीयान ग्राम सुमेल तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0

बनाम

——वादीगण

1. पप्पूराम पुत्र प्रभाती
2. बाबूलाल पुत्र प्रभाती
3. मुकेश पुत्र प्रभाती
4. रामखिलाडी पुत्र प्रभाती निवासीयान ग्राम सुमेल तहसील मालाखेडा जिला अलवर
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 89, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 207 रकबा 0.04 है0, 208 रकबा 0.1800 है0, 349 रकबा 0.1100 है0, 350 रकबा 0.1100 है, कुल किता 4 कुल रकबा 0.4400 है0 सालिम व आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 1.21 है0 वाके ग्राम सुमेल पूर्व मे प्रतिवादी 1 लगा0 4 के पिता परभाती पुत्र बालजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुमेल तहसील मालाखेडा के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। प्रतिवादी 1 लगा0 4 के पिता परभाती ने अपनी उक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 0.04 है0, 208 रकबा 0.1800 है0, 349 रकबा 0.1100 है0, 350 रकबा 0.1100 है0, कुल किता 4 रकबा 0.4400 है0, सालिम को एवं आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 1.21 है मे से 0.1700 है0 अर्थात 17/121 हिस्सा तरफ पूर्व वाके ग्राम सुमेल को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 01.09.2011 को तयशुदा तमाम प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर विक्रय शुदा आराजी पर वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया। बाद खरीद उक्त आराजी का नामान्तकरण बय संख्या 910 दिनांक 27.07.2012 को वादीगण के नाम तहसीलदार मालाखेडा द्वारा विधिवत स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तकरण का अमल राजस्व रिकॉर्ड मे नही आया ओर उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 के पिता विक्रेता परभाती का स्वर्गवास हो गया और परभाती के स्वर्गवास होने के उपरान्त उसकी विरासत का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 के नाम दर्ज व स्वीकार होकर विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

मे प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के चला आ रहा है। वादीगण अपनी खरीद शुदा कब्जेकाश्त खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजी का क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी के पास रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो बताया कि उक्त आराजी का वादीगण के नाम नामान्तरण तो दर्ज हो गया है, लेकिन उसके अमल का नोट राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2065–2068 की जमाबंदी पश्चातवर्ती जमाबंदियो मे नामान्तकरण संख्या 910 का अमल नही हुआ है और परभाती के स्वर्गवास के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 के दर्ज व स्वीकार होकर उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज कर दिया है। प्रतिवादीगण पूर्व मे उक्त_दुरूस्ती कराने के लिये सहमत थे किन्तु बाद मे इन्कार कर दिया। इस संबंध मे वादीगण ने श्रीमान के यहा दिनांक 05.06.2024 को उक्त नामान्तकरण का अमल राजस्व रिकॉर्ड मे करने के लिये आवेदन किया जिस पर तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक/एलआर–11/2024/178 दिनांक 19.06.2024 पेश की। उक्त रिपोर्ट मे वादीगण का बयनामा से आराजी खरीद करना, वादीगण का खरीद शुदा आराजी पर कब्जा होना एवं उक्त खरीद शुदा आराजी के बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद नही होना स्पष्ट अंकित किया गया है। साथ ही नामान्तकरण संख्या 910 दिनांक 27.07.2012 बय का अमल बाबत उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा की सेवा मे वास्ते स्वीकृत रिपोर्ट पेश की गई। लेकिन वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद नही किया गया है। उपरोक्त स्थिति मे वादीगण उपरोक्त वर्णित खरीद शुदा आराजी का अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है और नामान्तकरण संख्या 1005 दिनांक 20.09.2013 जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 4 के नाम परभाती की विरासत का स्वीकार हुआ है, वह वादीगण की खातेदारी खरीद शुदा आराजी की हद तक शून्य घोषित कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 4 के नाम का इन्द्राज को कलमजन करावाकर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज कराने के अधिकारी है।

वकील वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्नलिखित दस्तावेजात पेश किये गयेः–

1. कार्यालय तहसीलदार (भू0अभिलेख) मालाखेडा, अलवर रिपोर्ट दिनांक 19.06.2024
2. जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 174 तथा खाता संख्या नया 176
3. जमाबन्दी सम्वत 2065–2068, जमाबन्दी सम्वत 2069–2072
4. बयनामा दिनांक 01.09.2011

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश कर वाद मुताबिक अनुतोष स्वीकार करने का कथन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये चाहे गये अनुतोष के आधार पर वाद डिक्री करने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा पत्रावली मे खाता संख्या नया 174 आराजी खसरा संख्या 346 रकबा 1.21 है0 मे से 17/121 हिस्सा तथा खाता संख्या 176 आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 0.04 है0, 208 रकबा 0.18 है0, 349 रकबा 0.11 है0, 350 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.44 है0 के सम्पूर्ण हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाब दावे मे वादीगण के दावे का समर्थन किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर भी वादीगण के खातेदार होने की पृष्टि होती है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत इश्तकरार हक, दुरस्ती इन्द्राज, व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आंज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०